न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 22/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कौशल किशोर गुप्ता, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री हजारी लाल पुत्र श्री बूटाराम मेघवाल, 42 भंवर नगर, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
2. श्री भरत आसनानी पुत्र श्री शंकरलाल आसनानी, 61/251 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।
3. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दोजीराम, ग्राम बरोलीछार, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
   द) अधिवक्ता श्री पवन गुप्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम श्री कौशल किशोर गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.08.2014 को घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिल कर मारुति आटो आदि में भरने की शिकायत पर 42 भवर नगर, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड पर पहुंचे। मौके पर मकान के बाहर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला। मौके पर श्री हजारीलाल द्वारा नीले रंग की मारुति 800 आरजे–14 3 सी 8740 में आईओसी घरेलू गैस सिलेण्डर एस धार नम्बर 374749 तथा 1 बजाज आटो आरजे 14 बीसी 6689 में वीपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 399817 में से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा पाईपों के सहारे गैस भरी जा ही थी। इस मकान में एक कमरे में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम (7 आईओसी7 बीपीसी2 एचपीसी) के रखे पाये गये। अप्रार्थी ने पूछताछ पर बताया कि ये सिलेण्डर पडोसियों के है। इन सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। अप्रार्थी ने स्वयं के कनेक्शन की मानसरोवर इण्डेन की डायरी नम्बर एम–02669 तथा पिताजी बूटाराम के गैस कनेक्शन राजीव गैस सर्विस उपभोक्ता क्रमांक 60146861 की डायी प्रस्तुत की गयी। दो किचन में तीन सिलेण्डर रखे हुये पाये गये जिन्हे घरेलू उपयोग हेतु स्वीकार किया गया। मौके पर मारुति 800 के चालक श्री भरत आसनानी ने बताया कि पहली बार गाडी में गैस रिफिल कराने अप्रार्थी के यहां आया है। आटो चालक गजेन्द्र सिंह ने बताया कि अप्रार्थी गैस रिफिल करता है, स्वयं का सिलेण्डर लाने पर 50 रूपये लेकर गैस रिफिल करता है। इसलिये आटो में गैस भराने यहां आया है। मौके पर तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय प्लास्टिक पाईप, इलेक्ट्रिक कांटा (क्षमता 30 किग्रा) दो एडाप्टर (एसेम्बल) व दो ब्रास रेग्यूलेटर मौके पर पाये गये। मौके पर तीन गैस डायरिंया श्री चन्दन कुमार, श्री महेन्द्र कुमार व श्री सिद्धू प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार मौके से 18 घरेलू गैस सिलेन्डर (8 आईओसी+ 8 बीपीसी+ 2 एचपीसी) मय 193.900 किग्रा एलपीजी, इलेक्ट्रिक मोटर मय प्लास्टिक पाईप, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा (क्षमता 30 किग्रा), 2 एडोप्टर, 2 ब्रास रेगूलेटर, 1 मारुति 800 आरजे–14 3 सी 8740 व 1 बजाज ऑटो आरजे 14 बीसी 6689 जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक् रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ने दिनांक 13/07/2022 को तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन गुप्ता ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 12.04.2024 को पेश जवाब में अंकित किया कि उक्त प्रकरण में जब्त सामान में से एक इण्डेन गैस सिलेण्डर व 1 बजाज ऑटो आरजे 14 बीसी 6689 अप्रार्थी संख्या 3 का है। अप्रार्थी ने न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर, जयपुर से उक्त ऑटो सुपुर्दगीनामे, जमानतनामे पर रिलीज करवा लिया है। जब्तशुदा सिलेण्डरों से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी/अधिवक्ता संख्या 1 व 2 की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त ऑटो को राजसात ना करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से बहस में कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 07.08.2014 को घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिल कर मारुति आटो आदि में गैस भरी जा रही थी। मौके पर श्री हजारीलाल द्वारा नीले रंग की मारूति 800 आरजे–14 3 सी 8740 में आईओसी घरेलू गैस सिलेण्डर एस आर नम्बर 374749 तथा 1 बजाज आटो आरजे 14 बीसी 6689 में बीपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 399817 में से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा पाईपों के सहारे गैस भरी जा रही थी। मौके पर तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय प्लास्टिक पाईप, इलेक्ट्रिक कांटा (क्षमता 30 किग्रा), दो एडाप्टर (एसेम्बल) व दो ब्रास रेग्यूलेटर मौके पर पाये गये जो कि गैस रिफिल के काम आते हैं। साथ ही आटो चालक ने भी मौके पर बयान दिया कि वह अप्रार्थी संख्या 1 के पास ऑटो में गैस रिफिल करवाने आया है, वह स्वयं का सिलेण्डर लाने पर 50 रूपये लेकर गैस रिफिल करता है। इससे भी इस अवैध कारोबार की पुष्टि होती है। उक्त प्रकरण में जब्त ऑटो को सक्षम न्यायालय से रिलीज करवा लिया गया है। ऑटो और कार ग्राहक द्वारा गैस रिफिल करने के लिए लायी गयी थी जो कि प्रत्यक्ष रुप से इस कारोबार में लिप्त नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त 1 मारुति 800 आरजे–14 3 सी 8740 व 1 बजाज ऑटो आरजे 14 बीसी 6689 को छोडकर शेष सामान 18 घरेलू गैस सिलेन्डर (8 आईओसी+ 8 बीपीसी+ 2 एचपीसी) मय 193.900 किग्रा. एलपीजी, इलेक्ट्रिक मोटर मय प्लास्टिक पाईप, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा (क्षमता 30 किग्रा), 2 एडोप्टर, 2 ब्रास रेगूलेटर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.4.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।